

2022/161

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारा (राज.)

प्रार्थना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
68/22	212 RTA	टोडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मांगीबाई वगै.	बनाम	बद्रीलाल वगै.	
वकील :-	अशोक कुमार मेहता एडवो.	आदेश पत्रक	वकील :-


दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
8 ¹² / ₂₂	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गणों को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11/01/23 को पेश हो।	
11 ¹ / ₂₃	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गणों को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 11/01/23 को पेश हो।	
01 ³ / ₂₃	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गणों को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 19/01/23 को पेश हो।	
5 ² / ₂₃	अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर टी एक्ट विरुद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थी गणों को जर्ज्य सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 22/01/23 को पेश हो।	
22-9-23	पत्रावली एवं रिपोर्ट की गई लिखी गई आज पेश हुई वकील जर्ज्य उपा. कर्णाली गण की तरफ से पत्रावली पेश की पत्रावली जारी तरफ से दिनांक 16-11-23 को पेश हो	

दिनांक

कार्यवाही एवं आदेश

29.7.25

आज पीतागीन अधिकारी के अन्य कार्य में
ब्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् रिशति में
दिनांक 16.9.25 को पेश हो।


मैजिस्ट्रेट
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबल (बारा)

16.9.25

पत्रावली पेश हुई। वकूलवार परीकेत उफर। वकील वादी
प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्रकरण को
इसी स्तर पर Not press करना चाहते हैं। प्रकरण
Not press के खारिज किया जाता है। पत्रावली पेश
शुमार होकर साफिल स्तर है।